भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1364
दिनांक 13.03.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

शौचालयों के लिए निधि का आवंटन और उपयोग

1364. श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्मित शौचालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह सच है कि सार्वजनिक शौचालयों की समय पर मरम्मत न होने के कारण वे बड़ी संख्या में बंद पड़े हैं, यदि हाँ, तो बंद शौचालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ग) वर्ष 2022-23 से अब तक आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के लिए बजटीय आवंटन में कितनी वृद्धि की गई है; और
(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] के तहत निर्मित पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-1** में दी गई है।

(ख): जी नहीं। वर्ष 2019-20 के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित एक स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी के माध्यम से किए गए राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (एनएआरएसएस) के अनुसार, 98.6% सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक थे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-2** में दी गई है।

(ग): वर्ष 2022-23 (6 मार्च तक) के दौरान एसबीएम (जी) के तहत आवंटित, जारी और उपयोग की गई केंद्रीय अंश निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-3** में दिया गया है।

(घ): वर्ष 2022-23 के दौरान, एसबीएम (जी) के लिए बजट आवंटन 5000 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) है। वर्ष 2023-24 के लिए, एसबीएम (जी) के लिए बजट अनुमान 7192 करोड़ रुपये है।

(ङ): एसबीएम (जी) के अंतर्गत, सार्वजनिक शौचालयों के रख-रखाव के लिए कोई निधियां प्रदान नहीं की जाती हैं। सार्वजनिक शौचालयों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की है।

अनुबंध-1

पिछले 3 वर्षों के दौरान एसबीएम (जी) के तहत निर्मित आईएचएचएल की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,931	1,699	340	3,970
2	आन्ध्र प्रदेश	2,68,683	69,090	3,905	3,41,678
3	अरुणाचल प्रदेश	2,592	11,507	3,561	17,660
4	असम	3,05,983	4,19,771	82,145	8,07,899
5	बिहार	14,28,713	3,82,122	16,697	18,27,532
6	छत्तीसगढ़	1,14,660	33,037	59,801	2,07,498
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	0	714	1,447	2,161
8	गोवा	0	16,839	0	16,839
9	गुजरात	5,47,106	3,18,389	1,09,090	9,74,585
10	हरियाणा	12,483	4,918	11,128	28,529
11	हिमाचल प्रदेश	64	110	21,407	21,581
12	जम्मू एवं कश्मीर	42,068	86,286	15,241	1,43,595
13	झारखंड	1,94,210	5,13,388	25,573	7,33,171
14	कर्नाटक	2,35,350	1,69,976	88,041	4,93,367
15	केरल	640	9,294	5,105	15,039
16	लद्दाख	1,798	0	971	2,769
17	लक्षद्वीप	0	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	3,47,821	1,58,647	2,35,369	7,41,837
19	महाराष्ट्र	7,28,074	2,44,747	1,24,168	10,96,989
20	मणिपुर	11,617	4,361	3,981	19,959
21	मेघालय	9,835	31,263	29,732	70,830
22	मिजोरम	714	2,485	6,495	9,694
23	नागालैंड	1,330	3,545	9,336	14,211
24	ओडिशा	13,65,526	2,26,747	1,32,673	17,24,946
25	पुदुचेरी	270	668	688	1,626
26	पंजाब	1,00,572	77,890	17,005	1,95,467
27	राजस्थान	7,12,813	2,95,068	1,46,953	11,54,834
28	सिक्किम	724	1,627	3,488	5,839
29	तमिलनाडु	1,51,586	90,154	1,00,676	3,42,416
30	तेलंगाना	5,60,324	1,11,669	9,085	6,81,078
31	त्रिपुरा	79,544	53,961	12,221	1,45,726
32	उत्तर प्रदेश	39,61,157	9,11,621	7,55,073	56,27,851
33	उत्तराखंड	25,189	3,979	11,996	41,164
34	पश्चिम बंगाल	6,80,654	4,87,838	2,13,873	13,82,365
	कुल	**1,18,94,031**	**47,43,410**	**22,57,264**	**1,88,94,705**

स्रोत: एसबीएम (जी) आईएमआईएस पर राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित आंकड़े

अनुबंध-2

एनएआरएसएस 2019-20 के अनुसार कार्यात्मक सार्वजनिक शौचालयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यात्मक सार्वजनिक शौचालय % में
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100.0
2	आन्ध्र प्रदेश	94.1
3	अरुणाचल प्रदेश	100.0
4	असम	92.3
5	बिहार	70.8
6	छत्तीसगढ़	100.0
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	100.0
8	गोवा	100.0
9	गुजरात	100.0
10	हरियाणा	100.0
11	हिमाचल प्रदेश	100.0
12	जम्मू एवं कश्मीर	100.0
13	झारखंड	100.0
14	कर्नाटक	100.0
15	केरल	100.0
16	मध्य प्रदेश	92.9
17	महाराष्ट्र	100.0
18	मणिपुर	100.0
19	मेघालय	100.0
20	मिजोरम	100.0
21	नागालैंड	100.0
22	ओडिशा	100.0
23	पुदुचेरी	100.0
24	पंजाब	100.0
25	राजस्थान	100.0
26	सिक्किम	100.0
27	तमिलनाडु	99.3
28	तेलंगाना	100.0
29	त्रिपुरा	50.0
30	उत्तर प्रदेश	100.0
31	उत्तराखंड	100.0
32	पश्चिम बंगाल	100.0
	भारत	**98.6**

अनुबंध-3

वर्ष 2022-23 (6 मार्च, 2023 तक) के दौरान एसबीएम (जी) के तहत आवंटित, जारी और उपयोग की गई केंद्रीय अंश निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

राशि करोड़ रुपये में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन	जारी	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.83	0.00	1.46
2	आन्ध्र प्रदेश	676.79	0.00	77.02
3	अरुणाचल प्रदेश	29.43	14.71	11.88
4	असम	495.71	90.52	147.84
5	बिहार	1544.86	325.28	692.40
6	छत्तीसगढ़	355.07	88.77	77.03
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	1.63	0.00	0.90
8	गोवा	34.38	16.59	13.33
9	गुजरात	284.68	0.00	81.26
10	हरियाणा	202.77	0.00	19.76
11	हिमाचल प्रदेश	198.07	38.28	41.31
12	जम्मू एवं कश्मीर	494.20	116.79	89.79
13	झारखंड	300.64	0.00	78.53
14	कर्नाटक	665.34	0.00	38.29
15	केरल	308.04	74.00	8.42
16	लद्दाख	17.30	0.00	1.64
17	लक्षद्वीप	7.74	1.93	0.00
18	मध्य प्रदेश	411.14	81.78	271.16
19	महाराष्ट्र	1740.11	0.00	84.51
20	मणिपुर	51.45	12.86	12.03
21	मेघालय	92.13	16.57	29.37
22	मिजोरम	19.67	4.91	7.01
23	नागालैंड	39.44	19.72	14.37
24	ओडिशा	0.00	0.00	356.39
25	पुदुचेरी	37.80	0.00	0.73
26	पंजाब	168.19	0.00	47.59
27	राजस्थान	624.90	288.78	252.49
28	सिक्किम	23.17	5.79	3.83
29	तमिलनाडु	421.10	0.00	104.91
30	तेलंगाना	542.94	0.00	1.08
31	त्रिपुरा	128.29	28.28	20.93
32	उत्तर प्रदेश	1529.38	687.87	764.37
33	उत्तराखंड	92.61	14.14	19.24
34	पश्चिम बंगाल	848.16	193.97	296.79
	कुल	**12387.96**	**2121.54**	**3667.65***

* कुछ राज्यों में रिलीज से अधिक व्यय पिछले वर्षों की रिलीज में से राज्यों के पास अव्ययित शेष राशि की उपलब्धता के कारण हुआ है।